

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर। फोन नं0 0141—2221812, ई—मेल :— pcpndt-rj@nic.in



क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोन्ड/एल.ए./2016/723

दिनांक: 29-6-16

समस्त जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं जिला कलेक्टर महोदय राजस्थान।

समस्त जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।

समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी राजस्थान। (जरीये जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी)

> विषय :- माननीय न्यायालयों में विचाराधीन कोर्ट केस में पारित निर्णय के सम्बन्ध में। संदर्भ :- श्री अजय कुमार अवर सचिव भारत सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक A.60014/29/2016 के क्रम में।

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तगर्त एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि श्री अजय कुमार अवर सचिव भारत सरकार से प्राप्त पत्र को संलग्न कर आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

(संलग्न:- उपरोक्तानुसार)

(रघुवीर सिंह)
परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी),
उप निदेशक (आरसीएच) एवं प्रमारी
राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विमाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--

1. निजी सिचव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी एवं विशिष्ठ शासन सिचव (चि०,स्वा० एवं प.क.), जयपुर।

क्ष्र समस्त जिला समन्वयक (पीसीपीएनडीटी) राजस्थान को पालनार्थ।

3. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।

4. रक्षित पत्रावली।

(रघुवीर सिंह)
परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी),
उप निदेशक (आरसीएच) एवं प्रमारी
राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

No.A.60014/29/2016-PNDT GOVERNMENT OF INDIA Ministry of Health & Family Welfare (PNDT Section)

Nirman Bhawan, New Delhi Dated 2 June, 2016

To

State Appropriate Authority (PC & PNDT Act)
(All State/UTs) (Except Maharashtra)

Subject: Judgements/ Order of the Hon'ble Courts.

Sir/ Madam

It is noticed/observed that State Appropriate Authorities/ Central Appropriate Authorities are neither informing this Ministry on the Orders /Judgements passed by different Court against the provisions of the PC & PNDT Act/ Rules.

- 2. It is requested that Appropriate Authorities shall take immediate action for file appeal/ SLP to challenge the adverse orders passed by the Court besides informing the details thereof to this Ministry on time.
- 3. It was recently noted in a case on PC & PNDT that Union of India was not even made a respondent in the case and the adverse judgement was passed in the matter, to effect of eroding away the Act.
- 4. It is requested that as soon as any such eventuality recurs (i.e a case relating to PC & PNDT Act/Rules is filed in any Court), the SAA/ Central AA is to inform the Union of India immediately for requisite action.

Yours faithfully,

(Ajay Klumar) Under Secretary to the Government of India

Tel. 23061883

opy to: Nodal Officers, PNDT (All States/UTs).

gright /